

# ।। कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर ।।

क्रमांक : टी.क./एन.टी.सी.पी./12/313

दिनांक - 22/11/2012


-: आदेश :-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसरण में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन एवं पूर्व में गठित स्टीयरिंग कमेटी (आदेश क्रमांक एटीसी/12/283 दिनांक 11.4.12 के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए व नये सदस्य जोड़कर उक्त दोनों समितियों जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं समन्वय समिति का संयुक्त गठन निम्नानुसार किया जाता है -

- |                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. पुलिस आयुक्त जयपुर -                                                                                                                             |            |
| 2. अति. पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम/द्वितीय -                                                                                                          | अध्यक्ष    |
| 3. जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम -                                                      | उपाध्यक्ष  |
| 4. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(अपराध) एवं नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) पुलिस आयुक्तालय -                                                            | सदस्य सचिव |
| 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय -                                                                                             | सदस्य      |
| 6. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर(प.क./स्वा.) प्रथम/द्वितीय -                                                                        | सदस्य      |
| 7. समस्त पुलिस उपायुक्त/अधीक्षक, जयपुर - (उ.द.पू.प., अपराध, यातायात, ग्रामीण)-                                                                      | सदस्य      |
| 8. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक प्रथम/द्वितीय एवं प्रारम्भिक -                                                                                      | सदस्य      |
| 9. जिला बिक्री कर/वाणिज्य कर अधिकारी -                                                                                                              | सदस्य      |
| 10. जनसम्पर्क अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय जयपुर -                                                                                                      | सदस्य      |
| 11. आयुक्त मुख्यालय, नगर निगम जयपुर -                                                                                                               | सदस्य      |
| 12. प्रधानाचार्य चयनित महाविद्यालय एवं विद्यालय -                                                                                                   | सदस्य      |
| विधि/राजस्थान महाविद्यालय,रा.वि.वि. एवं राज.उ.मा.वि. पोद्दार/रुपारामपुरा जयपुर -                                                                    |            |
| 13. जिला भ्रम कल्याण अधिकारी -                                                                                                                      | अदरथ       |
| 14. औषधी नियन्त्रण अधिकारी -                                                                                                                        | सदस्य      |
| 15. खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम/द्वितीय -                                                                                                     | सदस्य      |
| 16. एकेडेमिशियन - डॉ. विरेन्द्र सिंह, आचार्य मेडिसिन विभाग एवं अधीक्षक एस.एम.एस. चिकित्सालय जयपुर -                                                 | सदस्य      |
| 17. साइकोलॉजिस्ट - डॉ. यू.एस. चौहान, मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर -                                                                                    | सदस्य      |
| 18. सोशियोलॉजिस्ट - डॉ. रश्मि जैन, समाजशास्त्र विभाग राज. वि.वि. जयपुर -                                                                            | सदस्य      |
| 19. तम्बाकू नियंत्रण/स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ./सी.एस.ओ. के प्रतिनिधिगण                                                                 | सदस्य      |
| निदेशक/अध्यक्ष/सचिव/प्रभारी/प्रतिनिधि, आर.पी.एच.ए., आर.सी.एफ., आई.ए.सी.एस., गांधी फाउण्डेशन, कदस कार्ट, एस.ए.एस., एच.सी.एम.एस., टी.डब्ल्यू.डी.एस. - |            |

जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं समन्वय समिति राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के जिले में सम्पूर्ण क्रियान्वयन सिगरेट व अन्य तम्बाकू अभिनियम (कोटपा) 2009 की धारा 4,5,6 व 7 के प्रावधानों की निगरानी, लागू एवं उनके उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही, आई.ई.सी. गतिविधि, जागरूकता इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होगा।

विभागवार समिति अधिकारीगण, सदस्यगण की विभागवार भूमिका के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशिका की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


  
(बी.एल.सोनी)

पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष  
जिला स्टीयरिंग एवं समन्वय समिति  
(तम्बाकू नियन्त्रण) जयपुर

क्रमांक टी.क./एन.टी.सी.पी./12/313  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 22/11/2012

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
3. स्टेट नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) एवं संयुक्त निदेशक(राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम/द्वितीय, पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(अपराध) एवं नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) पुलिस आयुक्तालय जयपुर।
7. सीएमओ, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, एनटीसीपी, एमओएचएफडब्ल्यू ए" विंग निर्माण भवन नई दिल्ली।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम एवं जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) तथा सदस्य सचिव, स्टीयरिंग एवं समन्वय समिति, जयपुर।
9. उपरोक्त समस्त समिति सदस्यगण ...
10. कार्यालय प्रति।

  
पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष  
जिला स्टीयरिंग एवं समन्वय समिति  
(तम्बाकू नियन्त्रण) जयपुर